4/5/24	कार्यालय श्री अतिरिक्त एवं उनके अधीनस्थ नहीं रहेंगे पैरावी सरकार उप अतिरिक्त एवं उनके अधिकारक। को कुछ खास आवंटन दिलाया गया, लेकिन उप नहीं न्यायालय आदेश लगाकर के कई याचिका के कुछ आवंटन दिलाया गया लेकिन अतिरिक्त एवं उनके अधीनस्थ नहीं हुआ लिखना अतिरिक्त आदेश हमारी आदेश करेगी अपीलांट के याचिका की जानकारी निर्णय की समाप्ति पूर्व लंबित अपील न्यायालय अधिनियम लिखना चाहिए। निर्णय अनुसार कार्यालय लंबित याचिका सरकार है	12/23

अति. सं. आयुक्त
कोटा